



राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, राष्ट्रीय शकषा नीतः

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य तथा महत्त्व, भारत में शकषा से संबधति कानून एवं संवैधानकः प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे भारत में **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey)** कया है, जसमें 36 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के 733 ज़िलों के 1.23 लाख स्कूलों के लगभग 38 लाख छात्रों का आकलन कया गया ।

- सर्वेक्षण को आखरी बार वर्ष 2017 में कया गया था और वर्ष 2020 में इसका आयोजन कया जाना था, लेकनः कोवडि-19 के कारण इसे वर्ष 2021 तक के लयः स्थगति कर दया गया था ।

प्रमुख बडुः

- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षणः**
 - यह शकषा प्रणाली के सीखने के परिणामों और स्वास्थ्य का आकलन करने के लयः एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है ।
 - यह पूरे भारत में आयोजति होने वाला **सबसे बडा, राष्ट्रव्यापी, नमूना आधारति शकषा सर्वेक्षण** है ।
 - यह सर्वेक्षण **शकषा मंत्रालय द्वारा** कया जाता है ।
 - यह सर्वेक्षण **केंद्रीय माध्यमकः शकषा बोर्ड (CBSE)** द्वारा आयोजति कया गया है ।
 - राष्ट्रीय शैकषकः अनुसंधान और प्रशकषण परिषद (NCERT)** ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, 2021 के लयः एक मूल्यांकन ढाँचा और उपकरण तैयार कयः हैं ।
 - यह स्कूली शकषा की प्रभावशीलता पर **एक प्रणाली-सतरीय प्रतबिबि** प्रदान करता है ।
 - यह प्रासंगकः पृष्ठभूमि के कारकों जैसे- स्कूल का वातावरण, शकषण प्रक्रयाओं, छात्रों के परिवार एवं वातावरण के बारे में जानकारी एकत्र करता है ।
 - यह भारत के सरकारी स्कूलों (राज्य और केंद्र सरकार दोनों), सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा नजिी स्कूलों सहति स्कूलों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है ।
- माध्यम और ग्रेडः**
 - सर्वेक्षण को शकषा के 22 माध्यमों में आयोजति कया गया जसमें अंगरेज़ी, असमया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड, हदि, मलयालम, मराठी, मणपुिरी, मज़ि, पंजाबी, ओडया, तेलुगु, तमलि, बोडो, उरदु, गारो, कोंकणी, खासी, भूटया, नेपाली और लेपचा शामिल हैं ।
 - यह अलग-अलग ग्रेड के लयः अलग-अलग वषियों में आयोजति कया गया है । वषिय और ग्रेड का वविरण नमिनलखितः हैः
 - ग्रेड 3 और 5:** भाषा, ईवीएस (EVS) और गणति
 - ग्रेड 8:** भाषा, वज्जान, गणति और सामाजकः वज्जान
 - ग्रेड 10:** भाषा, वज्जान, गणति, सामाजकः वज्जान और अंगरेज़ी
- उद्देश्यः**
 - ज़लि, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के सीखने की गुणवत्ता को बेहतर करने हेतु नीतः नियोजन, योजना नरिमाण व सखिने सखिने की प्रक्रयाओं के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार कया जाता है ।
- महत्त्वः**
 - यह कोवडि-19 महामारी के दौरान सीखने में उत्पन्न रुकावट और छात्रों के सखिने की प्रक्रया का आकलन करने में मदद करेगा जो बदले में उपचारात्मक उपायों को बढावा देगा ।
 - सर्वेक्षण के नषिकर्ष छात्रों के सामाजकः-भावनात्मक और संज्जानात्मक वकिस के संदर्भ में स्कूलों के बंद होने का छात्रों की शकषा पर असर का मूल्यांकन करने के लयः लॉकडाउन से पहले और बाद में शकषा व्यवस्था का आकलन करने में मदद करेगा ।

- यह छात्रों के सीखने के अंतराल का समाधान करने, शिक्षा नीतियों, सीखने तथा शिक्षण प्रथाओं को तैयार करने में मदद करेगा।
- सर्वेक्षण के नष्कर्ष अपने नैदानिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से शिक्षकों, शिक्षा के वस्तुतः में शामिल अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण में मदद करते हैं।

भारत में शिक्षा:

■ संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संवैधान के भाग IV, राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
- वर्ष 1976 में संवैधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- वर्ष 2002 में संवैधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21(A) के तहत प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया गया।

■ संबंधित कानून:

- [शिक्षा का अधिकार \(RTE\) अधिनियम, 2009](#) का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।
 - यह समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण को भी अनिवार्य करता है।

■ सरकार की पहल:

- [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020](#)
- [समग्र शिक्षा \(एसएस\) 2.0](#)
- [नपुण भारत मिशन](#)
- [पीएम पोषण योजना](#)
- [शिक्षा के लिये एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली \(\(UDISE\)](#)
- [परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक](#)

स्रोत: द हिंदू